पार्टी ने पार्टीशन पत्र की सामग्री में मौजा कश्मीरीलाल के खाता संख्या 421 व 161 के खसरा नम्बर 66/638 रकबा 0.0667 हैक्टेयर में से 1/6 भाग बेचने की सहमति विपक्षी पार्टी का नाम शारीरिक स्थान पुत्र मिश्रीलाल स्थान के स्थान पर गोकलचन्द आशीरवा पुत्र मिश्रीलाल दर्ज है, पक्ष की। पार्टीशन पार्टी के साथ और साक्ष्य पेश करने के निवेदन पर सामान्य पार्टी द्वारा की गई तथा पत्रावली आज बहस नियत की गई।

बहस पार्टीशन पार्टी की सुनी गयी। मौखिक बहस पार्टीशन पार्टी ने पार्टीशन पत्र में अंकित दावों को दोहराया किया दावा मौजा कश्मीरीलाल के खाता संख्या 421 व 161 के खसरा नम्बर 66/638 रकबा 0.0667 हैक्टेयर में से भाग खसरा नम्बर 13 रकबा 2.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410 रकबा 2.2763 हैक्टेयर पूर्व खसरा नम्बर 632 रकबा 4.1025 हैक्टेयर की जगह बेचने की सहमति विपक्षी पार्टी का नाम शारीरिक स्थान पुत्र मिश्रीलाल स्थान के स्थान पर गोकलचन्द आशीरवा पुत्र मिश्रीलाल दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर अन्तरण विलेख में जायज बनाया किये जाने बाबत तहसीलदार जालोर को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

पार्टीशन पार्टी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा कश्मीरीलाल के खाता संख्या 421 व 161 के खसरा नम्बर 66/638 रकबा 0.0667 हैक्टेयर में से भाग खसरा नम्बर 13 रकबा 2.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410 रकबा 2.2763 हैक्टेयर पूर्व खसरा नम्बर 632 रकबा 4.1025 हैक्टेयर कि जगह बेचने के अवलोकन से स्पष्ट है कि पार्टी का नाम शारीरिक स्थान पुत्र मिश्रीलाल स्थान के स्थान पर गोकलचन्द आशीरवा पुत्र मिश्रीलाल भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

पार्टी का पार्टीशन पत्र पूर्ण आधारभूत की श्रेणी 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु पार्टीशन पत्र में चाही गई भूखण्डों का विभाजन (Demarcate) की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 में नहीं है। पार्टीशन का वास्तविक नाम स्थानान्तरण के रूप में दर्ज नहीं होकर केवल नाम दर्ज से स्पष्ट है जिसका समाधान नहीं होने की अवस्था पार्टी को आगे क्षति हो सकती है एवं राजकीय राजस्व का लाभ भविष्य सुरक्षित नहीं मिल रहा है कि पार्टी का नाम अन्य राजकीय कार्यालयों का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 250 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण लेकर की धारा 88, 136 का मानते हुये पार्टी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा कश्मीरीलाल के खाता संख्या 421 व 161 के खसरा नम्बर 66/638 रकबा 0.0667 हैक्टेयर में से भाग खसरा नम्बर 13 रकबा 2.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410 रकबा 2.2763 हैक्टेयर पूर्व खसरा नम्बर 632 रकबा 4.1025 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम गोकलचन्द आशीरवा पुत्र मिश्रीलाल के स्थान पर शारीरिक स्थान पुत्र मिश्रीलाल स्थान दुरूस्त किया जाता है। उपरोक्त खसरान में दी बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार जेत को आदेशित किया जाता है कि पार्टी का नाम मानचित्र आदेश राजस्व रिकॉर्ड में जायज बनाया करें।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.24 को मेरे द्वारा मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(अनिल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी (मुख्यालय)
सिरोही (राज.)